राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3)विभाग

क्रमांक–प.5(1)सा.प्र./3/2011 दिनांक 29 JAN 2024

–:परिपत्र:–

सर्वविदित है कि सचिवालय में पदस्थापन के पश्चात टेलीफोन हेतु पात्र अधिकारीगण द्वारा निवास पर स्थित निजी टेलीफोन/मोबाइल को राजकार्य में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपयोग में लेने के लिये प्रथमतः इस विभाग की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ही बिल पुनर्भरण प्राप्त किया जा सकता है।

वर्तमान में टेलीफोन/मोबाइल बिल पुनर्भरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित न होने के कारण कतिपय टेलीफोन/मोबाइल धारकों द्वारा अपना प्रस्ताव काफी विलम्ब (01 वर्ष अथवा इसके पश्चातवर्ती अवधि) से प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में विभिन्न पेचिदगियो के कारण विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है साथ ही प्रकरण लम्बित स्थिति में यथावत रहते है जिन पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पाता है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में यह निर्देश जारी किये जाते है कि सचिवालय में टेलीफोन/मोबाइल हेतु पात्रता रखने वाले अधिकारीगण द्वारा अपने निजी टेलीफोन/मोबाइल को राजकीय में परिवर्तित करने/बिल पुनर्भरण की स्वीकृति जारी करने हेतु प्रस्ताव विधिवत रूप से संबंधित पद पर पदस्थापन/कार्यग्रहण करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर ही इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि कार्यवाही यथासमय सम्पन्न हो सकें।

ध्यातव्य रहे भविष्य में आवेदको के द्वारा उनके कार्यग्रहण करने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर–भीतर आवेदन करने पर ही बिल पुनर्भरण संबंधी स्वीकृतियां **कार्यग्रहण तिथि** से जारी की जा सकेंगी उक्त समयावधि के पश्चात आवेदन करने वाले आवेदकों को **आवेदन करने की तिथि से ही** बिल पुनर्भरण हेतु पात्र मानते हुये स्वीकृति जारी की जावेगी। उक्त निर्देश भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगें।

उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, उपमुख्यमंत्री/ मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
5. समस्त संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ शासन उप सचिव/शासन उप सचिव/ शासन उप सचिव के समकक्ष टेलीफोन सुविधा हेतु पात्र अन्य अधिकारीगण
6. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय को प्रेषित कर लेख है कि टेलीफोन/मोबाइल बिलों का पुनर्भरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित द्वारा पुनर्भरण सुविधा हेतु वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।
7. सूचना वोर्ड
8. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
संयुक्त शासन सचिव
Digitally signed by Har Sahay Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.01.29 14:02:29 IST
Reason: Approved

CamScanner